न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 103/2016

वादीगण

1. शोभाराम पुत्र भुराजी जाति मेघवाल नि0 लाडपुरा तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामा पुत्र धना
2. बंशी पुत्र धना के का0मु0:—
2/1 पुरणलाल पुत्र बंशी
2/2 रविन्द्र पुत्र बंशी
2/3 पवन पुत्री बंशी
2/4 संतोष पत्नि बंशी
3. गोपाल पुत्र धना
4. भेरिया पुत्र दुदा
5. पपीया पुत्र दुदा
6. ममता पुत्री चुनिया
7. बुटिया उर्फ गुडिया पुत्री चुनिया जाति नायक नि0 गुड़ाबींजा तह0 सोजत जिला पाली
8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री भवानी सिंह जैतावत अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 उपस्थित।

—: **निर्णय** :—   **दिनांक — 28.04.2022**

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ाबींजा के खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5300 हैक्टर किस्म बारामी दोयम स्थित है। जिसमें वादी के खरीदसुदा एवं कब्जा काश्त सुदा 1/3 हिस्सा की कृषि भुमि है जो मौके पर नजरी नक्शे के अनुसार बंटी हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का 1/3 हिस्सा नजरी नक्शे के अनुसार बंटा हुआ है, जिसमें नजरी नक्शे के अनुसार अ,ब व स के बीच हरे रंग का भाग वादी के हिस्से में मौखिक बंटवाड़े के अनुसार आया हुआ है। उक्त हिस्से की जमीन के एक साईड में ब से स के बीच में पट्टीया रोपी हुई है, अ, ब व ब, स की माट पर धोरा पाली व बाड़ कर रखी है। पाले के उपर पुराने अग्रेजी बबुल के पेड़ खड़े है, तथा अ बिन्दू के पास आने जाने का रास्ता हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हिस्सें में ब से ई, ई से द व द से स के बीच का भाग कब्जे काश्त में है तथा उक्त हिस्से में प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना मकान बना रखा है तथा उसी में रहता है तथा चारो तरफ धोरा पाली व बाड़ कर रखी हैं। लेकिन आपसी सहमति व मौखिक बंटवाडे के अनुसार बटी हुई हैं। किन्तु राजस्व रेकर्ड में सामलाती कृषि भूमि होने से यह वाद पेश किया जा रहा है। मौके पर बंटी हुई होने के बाबजुद भी प्रतिवादीगण वादी के साथ हमेशा टंटा फिसाद करते रहते है, एवं वादीग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में हमेशा दखल अन्दाजी करते रहते है, वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच में हुए मौखिक बंटवाड़े के अनुसार व मौके पर हुई कब्जे के अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा अपने अपने हिस्से के अनुसार एक चक करवाने बाबत प्रतिवादीगण को कई बार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत नहीं हुए। लेकिन राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर हुए मौखिक बंटवाड़े के अनुसार वादी अपना

उपखण्ड अधिकारी

1/3 हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का कानूनी अधिकार रखता है, इसलिये यह वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों का बंटवाड़ा करवाना चाहता हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त भूमि में प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से तथा कब्जा काश्त की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, व बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये किसी प्रकार का कोई बेचान बक्सीस हस्तान्तरण रहन इत्यादि नहीं कराने, एवं विधिक बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाई मिटस एवं बाउण्डस के आधार पर किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 241 रकबा 0.5300 हैक्टर में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 1 लगायत 7 का 2/3 हिस्सा अ,ब,स के बीच का भाग व प्रतिवादीगण का ब,ई,द,व स के बीच का भाग राजस्व रेकर्ड में अलग से घोषित किया जाकर राजस्व नक्शें में हिस्सा अलग से तरमीम किया जाने व अलग से लगान कायम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 03.10.2016 को प्रति0 संख्या 01 से 03 की ओर से जबाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित खसरा नंबर 241 रकबा 0.5300 है0 किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा गुडाबींजा में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती कृषि भूमि स्थित है। बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादी जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वह गलत प्रस्तुत किया गया है। मौके पर अ, ब, स, द, इ में किसी प्रकार से कृषि भूमि बंटी हुई नहीं है। वादी ने अपनी मनमर्जी के अनुसार नक्शा बनाकर अपना कब्जा बताया है, जो गलत है जबाब दावा के साथ सही नजरी नक्शा बनाकर अपना कब्जा बताया है जो गलत है। जबाब दावा के साथ जो सही नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमे मार्क ए, बी, सी, डी कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा मार्क सी, डी, ई भाग प्रतिवादीगण का कब्जासुदा है। शेष पैरा गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर वादी द्वारा बताये नजरी नक्शा अनुसार किसी प्रकार से जमीन बंटी हुई नही है। वादी प्रतिवादीगण को कभी भी बंटवाडा करने हेतु नही कहा, न ही कोई मोखिक बंटवाडा किया हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जा काश्त में कभी भी दखल अंदाजी नही की है। सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने अपने वाद में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वादी ने प्रतिवादीगण को कब और कहॉ बंटवाड़ा हेतु कहा है तथा प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा हेतु इन्कार किया है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी धमकी नहीं दी गई है। पैरा संख्या 03, 05, 06 कानूनी होना अंकित करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को गलत बताते हुए प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रति0 संख्या 5, 6, व 8 तामिल सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनु0 रहने से दिनांक 09.04.2018 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रति0 संख्या 07 को बावजूद रजिस्टर्ड ए0डी0 डाक विभाग द्वारा परिदत होकर प्राप्ति संलग्न पत्रावली है। बावजूद तामिली सूचना अनुपस्थित हरने से इनके विरूद्ध दिनांक 11.12.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 04 का जबाब दावा दिनांक 09.04.2018 को बाद विधिक सुनवाई द्वारा किया गया। तनकियात दिनांक 09.04.2018 को कायम की गई तथा शहादत वादी का शपथ–पत्र भी शामिले मिसल किया गया।

पत्रावली आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व कैम्प गुडाबींजा में पेश हुई। तहसीलदार, सोजत द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मजमा–ए–आम में तैयार कर प्रस्तुत किया गया, दिनांक 04.09.2018 को अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 16.05.2018 को पूर्वोक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पी0डी0 जारी की गई थी। उसकी पालना में पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट नजरी नक्शे में बनाकर वादी का हिस्सा पेश किया है, वो पालना रिपोर्ट मौके पर नहीं की जाकर पटवार घर में बैठकर प्रतिवादीगण के जबाब के साथ लगी नजरी नक्शें की नकल करके पी0डी0 पालना रिपोर्ट पेश की है जो वादी को मंजूर नही है। पुनः मौका रिपोर्ट इस आधार मंगवाई जावे कि रोड़ पर तीनो हिस्सेदारों को बराबर जमीन मिल सकें। इस प्रकार आपति प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पूर्व में प्रस्तुत पी0डी0 पालना रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव निरस्त किया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

जावे एवं पुनः पी0डी0 पालना रिपोर्ट इस आशय के साथ मंगवाई जावें कि तीनों हिस्सेदारों को सड़क पर बराबर बराबर भूमि मिल सके। अधिवक्ता वादी की ओर प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र बाबत पी0डी0 पालना में रिपोर्ट में संशोधन का जबाब प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रति0 ने पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रा0 पत्र में बिल्कुल गलत तथ्यों का अंकन किया है। वाद में दिनांक 09.04.2018 को पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण व जिरह हेतु रखी गई है। वादी ने साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र भी पेश किया है। इसी दरम्यान उक्त अनवान व प्रकरण में पत्रावली केम्प में चली गई। जहॉ पर बिना किसी अधिकारिता के तहसीलदार, सोजत व पटवारी हल्का द्वारा पी0डी0 की पालना रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी गई, जबकि उक्त प्रकरण में सहमति से कोई प्रा0 डिक्री पारित नहीं हुई है। तहसीलदार, सोजत व पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की वह गलत है। ऐसी रिपोर्ट पत्रावली के डी पार्ट में रखने योग्य है। अधिवक्ता वादी ने न्यायालय को भ्रमित करने के लिए गलत आधारों का प्रा0 पत्र पेश किया है जो कतई चलने योग्य नही है। जिसे पुनः साक्ष्य वादी में रखा जावे तथा वादी को हिदायत दी जावे कि आईन्दा पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे, ताकि साक्ष्य वादी पूर्ण करवाई जा सके। मात्र गलत आधारों पर उक्त भ्रामक प्रा0 पत्र पेश किए गए है उससे मात्र वाद को लम्बा करने के लिए ही प्रस्तुत किए गए है। इस प्रकार जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अनावश्यक प्रस्तुत किये गये ऐसे प्रा0 पत्र को सव्यय खारिज करने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय आपति प्रा0 विभाजन प्रस्ताव नजरी नक्शा दिनांक 04.05.2018 पर सुनी गई। वस्तुतः प्रा0 डिक्री जारी किये बिना ही दिनांक 04.05.2018 को तैयार किया विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रस्तुत रिपोर्ट पर उभय पक्षों द्वारा आपति व्यक्त/अंकित की गई है। वस्तुतः माफिक राजस्व रेकर्ड विवादग्रस्त कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर प्रा0 डिक्री जारी होकर तहसीलदार, सोजत को इस हेतु अधिकृत किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग करके विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तथापि बिना सहमति एवं प्रा0 डिक्री जारी किए बिना ही राजस्व लोक अदालत में दिनांक 04.05.2018 को प्रस्तुत प्रस्ताव को मात्र मौका रिपोर्ट माना जाकर इस पत्रावली के डी पार्ट में पत्रावित करने के आदेश दिए गये।

अतः माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की गई तथा सरहद मौजा गुडाबींजा तह0 सोजत में स्थित विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 241 रकबा 0.5300 है0 किस्म बा0दो0 में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिटस एण्ड बाउण्ड मौके पर तकासमा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कर विभाजन प्रस्ताव तैयार प्रा0 डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजी जाकर तहसीलदार सोजत से पालना मंगवाई गई। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/ 4332 दिनांक 01/11/2021 के जरिये प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बहस वकुलाय विभाजन प्रस्ताव सूनी गई व समायत की गई। अधिवक्तागण ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव माफिक वाद डिकी किये जाने हेतु सहमति / स्वीकारोक्ति व्यक्ति की है। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड खातेदारों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गुड़ाबींजा, तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 241 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर किस्म बा0दो0 की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	शोभाराम पुत्र भुराजी कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	241	0.1766	बा0दो0	0.7064
2.	गोपाल पुत्र धना 1/3 रामा पुत्र धना 1/3 पुरण लाल पुत्र बंशीलाल 1/12 पवन पुत्री बंशीलाल 1/12 रविन्द्र पुत्र बंशीलाल 1/12 संतोष पत्नि बंशीलाल 1/12 कौम नायक सा0 देह खातेदार	241/1	0.1767	बा0दो0	0.7068
3	चुनीया पुत्र दूदा 1/3 पपीया पुत्र दूदा 1/3 भेरीया पुत्र दूदा 1/3 कौम नायक सा0 देह खातेदार	241/2	0.1767	बा0दो0	0.7068
	कुल योग	3	0.53	बा0दो0	2.12

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तादाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादीगण

1. शोभाराम पुत्र भुराजी जाति मेघवाल नि0 लाडपुरा तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामा पुत्र धना
2. बंशी पुत्र धना के का0मु0:–

2/1 पुरणलाल पुत्र बंशी
2/2 रविन्द्र पुत्र बंशी
2/3 पवन पुत्री बंशी
2/4 संतोष पत्नि बंशी

3. गोपाल पुत्र धना
4. भेरिया पुत्र दुदा
5. पपीया पुत्र दुदा
6. ममता पुत्री चुनिया
7. बुटिया उर्फ गुडिया पुत्री चुनिया जाति नायक नि0 गुड़ाबींजा तह0 सोजत जिला पाली
8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– 103/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री भवानी सिंह जैतावत एवं श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 उपस्थित पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा गुड़ाबींजा, तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 241 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर किस्म बा0दो0 की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	शोभाराम पुत्र भुराजी कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	241	0.1766	बा0दो0	0.7064
2.	गोपाल पुत्र धना 1/3 रामा पुत्र धना 1/3 पुरण लाल पुत्र बंशीलाल 1/12 पवन पुत्री बंशीलाल 1/12 रविन्द्र पुत्र बंशीलाल 1/12 संतोष पत्नि बंशीलाल 1/12 कौम नायक सा0 देह खातेदार	241/1	0.1767	बा0दो0	0.7068
3	चुनीया पुत्र दूदा 1/3 पपीया पुत्र दूदा 1/3 भेरीया पुत्र दूदा 1/3 कौम नायक सा0 देह खातेदार	241/2	0.1767	बा0दो0	0.7068
	कुल योग	3	0.53	बा0दो0	2.12

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –

मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			